

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी  
प्रा. पत्र संख्या

:- श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस  
: 6/2019

उपनाम  
लालसिंह सिसोदिया पुत्र जवाहर सिंह जाति राजपूत निवासी- 5ए नेमीसागर कालोनी वैशालीनगर  
जयपुर (राज0)  
मैमर्स स्टार ग्लोबल एनड्ररा प्रा0लि0, पता- 137, 138 औद्योगिक क्षेत्र झोटवाड़ा जरिये निदेशक संजय  
न पुत्र अमरनाथ जैन जाति महाजन नि. प्लॉट नं. 46बी, केशव पथ, सुरज नगर, सिविल लाईन्स जयपुर  
प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नवीन रास्ता चाहने हेतु अन्तर्गत आर0टी0एक्ट0 1955

दिनांक 21/8/20

प्रार्थीगण की आरे से प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 372/0.26, 356/0.48  
के ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा में स्थित है। जिसमें आने जाने हेतु 356/1331 राजकीय भूमि में से  
रास्ते हेतु आवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई।  
तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त हो गई।

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण के नाम ख.नं. 372, 356 राजस्व  
रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त आराजी भूमि खोरालाड़खानी से मनोहरपुर रोड़ पर स्थित है जो मुख्य सड़क  
के दक्षिण दिशा में ख.नं. 372 की भूमि है तथा इनके बीच में ख.नं. 356/1331 के लगता आवेदक का ख.  
356 स्थित है अर्थात् ख.नं. 356 से 372 में जाने हेतु कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं जबकि  
ख.नं. 356/1331 सरकारी भूमि है जो मौके पर खाली पड़ी है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ख.नं.  
356 में जाने हेतु ख.नं. 356/1331 रकबा 0.44 है0 सरकारी भूमि से आवेदक का रास्ते की आवश्यकता है।  
तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि ख.नं. 372 रकबा 0.26 है0 भूमि औद्योगिक  
उद्योगनार्थ संपरिवर्तन शुदा भूमि है जिसमें मौके पर रास्ता है तथा इसके लगता ख.नं. 356/1331 रकबा  
0.44 है0 में भी मौके पर रास्ता बना हुआ है। आराजी ख.नं. 356/1331 किस्म गै.मु. पहाड़ है लेकिन मौके  
पर पहाड़ या पर्वत नहीं है तथा मौके पर रास्ता चालू है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(52)  
राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.6.2013 के अनुसार कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए  
राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करवाना चाहता है तो  
जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दर का दोगुना प्रतिकार लिया लाकर रास्ता  
दस्ता किये जाने के स्पष्ट निर्देश है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार शाहपुरा  
से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में उक्त नियमों के तहत रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राज्य सरकार के परिपत्र प.3/52/राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.6.13 की पालना में ग्राम  
सुराणा तहसील शाहपुरा के ख.नं. 356/1331 रकबा 0.44 है0 गै.मु. पहाड़ में से 68 मीटर लम्बा तथा 30  
मीटर चौड़ाई में ख.नं. 356/1331 की उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे जिला  
स्तरीय कमेटी निर्धारित राशि की दोगुना राशि प्रार्थी द्वारा राज्य कोष में जमा कराने पर राजस्व रिकार्ड में  
गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश देता हूँ। तहसीलदार शाहपुरा को भूमि रास्ते में दर्ज हेतु भूमि का आंकलन  
कर राशि राज्य कोष में जमा करने तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल  
द्वारा ही प्रकरण दायित्व दफतर हो।

